भा. कृ. अनु. प. – केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Sheep and Wool Research Institute
Avikanagar, Malpura, Rajasthan - 304501
Tel. Nos. +91-1437-220162 / 220 164 FAX: +91-1437-220163
Email: director.cswri@icar.gov.in, cao.cswri@icar.gov.in Web site: www.cswri.res.in

F.No.6(405)ES/Estate/2023-24 Dt:- 23.08.2023

निम्मित-

मै0 गुलाब देवी
ब्लॉक नं-12, इन्द्रा कॉलोनी, रेल्वे स्टेशन रोड, मालपुरा, टोंक राज0 304502
मो0 नं0 9680307133
Email - gulabdevi1999@gmail.com

विषय:- संस्थान के आवासीय और भवनों में सफेदी/पेंट/कलर कार्यो के लिए वार्षिक रेट कोन्ट्रेक्ट अनुबन्ध को सम्पन्न करने बाबत्।

संदर्भ:- बिड आई.डी. क्रमांक -2850487 दिनांक 22.07.2023

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा क्रमांक ID 2023_DARE_760745_1 दिनांक 01.08.2023 के संबंध में संस्थान के आवासीय और भवनों में सफेदी/पेंट/कलरकार्यो के लिए वार्षिक रेट कोन्ट्रेक्ट अनुबन्ध हेतु दी गई दरों को सक्षम अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर लिया है। अत: निम्नलिखित दरों, नियम शर्तो के आधार पर आपको कार्य आदेश जारी किया जाता है।

क्र.स.	कार्य का विवरण	दर प्रथम कोट प्रति वर्ग मीटर	दर द्वितीय कोट प्रति वर्ग मीटर
1.	दीवारो की पुरानी सतह पर आवश्यकतानुसार वाल पुटटी से मरम्मत कर प्लास्टीक ईमलसन पेन्ट (एशियन या बर्जर)करने का कार्य सामान सहित।	Rs. 34/-	Rs. 07/-
2.	पुरानी आयरन लकड़ी कि सतह को रेगमाल से घिसाई कर प्राईमर के साथ एनामेल पेंट (एशियन या बर्जर) करने का कार्य सामान सहित	Rs. 30/-	Rs. 08/-
3.	दीवारोकी पपडी को खुरचकर आवश्यकतानुसार वालपुटटी से मरम्मतकर सफेदी (एशियन या बर्जर)करने का कार्य सामान सहित।	Rs. 09/-	Rs. 04/-
4.	दीवारो की पुरानी सतह पर आवश्यकतानुसार वाल पुटटी से मरम्मत कर एस .acrylic पेन्ट(एशियन या बर्जर) करने का कार्य सामान सहित ।	Rs. 30/-	Rs. 07/-
5.	दीवारो की पुरानी सतह पर आवश्यकतानुसार वाल पुटटी से मरम्मत कर डिस्टेमबर (एशियन या बर्जर) करने का कार्य सामान सहित ।	Rs. 23/-	Rs. 06/-

नियम एवं शर्ते :

1. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिये होगी । परन्तु शुरू में फर्म को आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के लिए जारी किया जाता है, इस अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता का कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में अनुबन्ध को बढाया जा सकता है।
2. कार्य शिड्यूल में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार करना होगा।

3. कार्य के उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे पेंट, प्लास्टिक ईमलसन, डिस्टेम्पर, प्राईमर बिरला ब्रान्ड अथवा) पुट्टी एवं अन्य सामान (एशियन ब्रान्ड अथवा बर्जर ब्राण्ड) का होना चाहिये ।
4. रंगरोगन करने से पूर्व किये जाने वाले रंग, प्राईमर इत्यादि कि जानकारी प्राप्त कर कार्य हेतु रंग, प्राईमर इत्यादि लाना होगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सामान प्रभारी सम्पदा प्रतिनिधि को दिखाने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ करना होगा।
5. कार्य के दौरान उपयोग में आने वाले सामान जैसे सीढ़ी, पेड़ा बांधने एवं अन्य सामान की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
6. कार्य के दौरान लगाए गए श्रमिक प्रशिक्षित व अनुभवी होने चाहिए।
7. कार्य समाप्ती पर प्रभारी सम्पदा अनुभाग प्रतिनिधि के समक्ष किए गए कार्य का माप करवाना होगा ।
8. कार्य की मात्रा अनुमानित है, आवश्यकतानुसार कम या अधिक हो सकती है । भुगतान वास्तविक माप के अनुसार ही किया जाएगा ।
9. संस्थान द्वारा किसी भी परिस्थिति मे अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान संतोषजनक कार्य समाप्ती पर बिल के माध्यम से किया जाएगा ।
10. भुगतान कार्य आदेश के आधार पर होगा अर्थात कार्य आदेश में दिये गये कार्यो का भुगतान वास्तविक माप के अनुसार होगा।
11. अनुबन्ध की अवधी में अनुबन्धकर्ता / उसके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य के दौरान संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुचाया जाता है तो उसकी भरपायी अनुबन्धकर्ता के बिल में से कर ली जायेगी।
12. आवासीय भवन सफाई की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी । रंग अथवा अन्य किसी प्रकार का दाग – रोगन के पश्चात् साफ करना होगा। कार्यालय भवन अथवा अन्य स्थान पर रंग/धब्बा-नहीं रहना चाहिये ऐसा पाये जाने पर उसको साफ करवाने की खर्चे की राशि अथवा रू. 1000/- मात्र की कटौती अनुबन्धकर्ता देय बिल में (जो भी अधिक हो) से कटौति की जा सकती है।
13. अनुबन्ध की अवधी के दौरान ठेकदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
14. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/नियमों/रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों के संबंध में लागू होने वाले अधिनियमों-मस्टरोल आदि का रख/दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। श्रमिकों का विनियमों **EPF**/**ESI** इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस संबंध में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
15. ठेकेदार के देय बिल में से नियमानुसार आयकर एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि या अन्य कर जो लागू हों, की भी कटौती की जावेगी
16. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधी में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा । भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत् समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
17. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा, उनका फोटो युक्त परिचय पत्र ठेकदार द्वारा अधिकृति सुरक्षा अधिकारी से बनवाकर प्रभारी सम्पदा अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा जिसका व्यव स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा । साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

18. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता / क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मिकों का बीमा अवश्य करवा लें।
19. आप द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा कराई गई जमान राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
20. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकदार को तैयार कराना होगा तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मॉगने पर प्रस्तुत करना होगा।
21. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व उन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान का होगा। जिसे एजेन्सी/फर्म/ठेकेदार द्वारा मान्य होगी।
22. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि के उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कोन्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
23. इस अनुबन्ध में G.F.R. (Procurement of Goods and Services) में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबन्ध से संबन्धित नियम भी लागू होगें।
24. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय
Digitally Signed by Sanjay Sharma
Date: 23-08-2023 12:28:17
Reason: Approved
(संजय शर्मा)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी (क्रय)

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी सम्पदा अनुभाग से अनुरोध है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से कार्य अनुमोदन / कार्य आदेश / वित्तीय सहमति आदि कोडल औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संस्थान के आवासीय और भवनों में सफेदी / पेंट / कलर कार्यो को किया जा सकता है।

2. प्रभारी भण्डार अनुभाग
3. आहरण एवं सवितरण अनुभाग
4. वित्तीय एवं लेखा अनुभाग
5. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
6. सर्तकता अधिकारी
7. प्रभारी, ए.के.एम.यू. को संस्थान वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है।